

राजस्थान सरकार
राजस्वग्रुप-६४ विभाग

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

पंक्ति:- ५४/१४ राज-६/९७/६

जयपुर, दिनांक:- ५-३-०५

परिपत्र

विषय:- आम रास्ते निकालने एवं राजस्व रिकार्ड में अकड़न करने के
सम्बन्ध में।

महारौ.

उपरोक्त विषयान्तर्गत "प्रशासन आपके द्वारा "अभियान के दौरान यदि
ऐसे समस्त आतेदार कृषक जिनकी आतेदारी की भूमि के खेत में से होकर रास्ता
गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो जब्तिं आतेदारों की सहमति से
रास्ते में जाने वाली भूमि का समर्ण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ के
प्रावधानानुसार किया जावे रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अकड़न कर दिया जावे
तथा उक्तानुसार रास्ता निकालने की कार्रवाही की जाने वाली कार्रवाही की
दीच में यदि कोई राजकीय भूमि पड़ती है तो जब्तिं तहतीलदार अपनी सहमति
के साथ प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के माइल से स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर को
भेजेगा। जिला कलेक्टर की स्वीकृति उपरान्त राजस्व रिकार्ड में तदनुसार रास्ता
अकड़न किया जायेगा के सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र दिनांक ३०.११.२००४ जारी
किया गया था। उक्त परिपत्र की समवाचार्य "प्रशासन आपके द्वारा" अभियान के
पश्चात भी निरन्तर बानी जावे।


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निबन्ध, राजस्व मण्डल, अजमेर को दूनवारी एवं बावराय कार्रवाही
हेतु प्रेषित है।


उप शासन सचिव